556

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:-प.10(1)नविवि/3/2002 जयपुर, दिनांक:- 6.7.2002

-: आदेश :-

राजस्थान में आवासीय परियोजनाओं/टाउनशिप विकसित करने में निजी निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए विभाग की अधिसूचना दिनांक 1.1.2002 के द्वारा निजी कृषि भूमियों पर प्रस्तावित आवासीय परियोजनाओं के लिये प्रावधान के बिन्दु संख्या 3 में निजी निवेशकर्ताओं से यह अपेक्षा की गयी है कि वे ले आउट प्लान स्वीकृत होने तथा तकनीकी अनुमोदन के पश्चात कृषि भूमि रूपान्तरण राशि जमा करायेंगे। संदर्भित भूमि पर विकास कार्य पूर्ण किया जाये तथा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण किया जाये। अधिसूचना में यह भी प्रावधान है कि संबंधित संस्था द्वारा भूखण्डधारियों को लीजडीड विकास कार्य पूर्ण होने पर ही प्रदान की जायेगी।

इस प्रावधान से निजी निवेशकर्ताओं से भूखण्ड प्राप्तकर्ता को जब तक योजना में विकास कार्य पूर्ण नही हो जाता, लीजडीड जारी नही होने से उन्हे वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः यह निर्णय लिया गया कि यदि निजी निवेशकर्ता उक्त विकास कार्य पूर्ण करवाने के स्थान पर विकास कार्य पर व्यय की जाने वाली राशि संबंधित स्थानीय निकाय को जमा करवा देते हैं तो लीजडीड जारी कर दी जावे। किन्तु उक्त संस्था उक्त प्राप्त राशि का उपयोग उक्त योजना के विकास कार्य पर ही व्यय करेगी, यह सुनिश्चित किया जावे।

आज्ञा से,

(एच.एस.भारद्वाज)
शासन उप सचिव.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
4. संभागीय आयुक्त, समस्त।
5. जिला कलेक्टर, समस्त।
6. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर/जोधपुर/कोटा।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि समस्त नगर परिषदों/नगर पालिकाओं को अपने स्तर से सूचित करने का श्रम करें।
9. अध्यक्ष/सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त/मुख्य नगर नियोजक, राज0 जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव.

(24)
(103)